राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989

*राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989
(1992 का अधिनियम संख्या 19)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 4 जून, 1992 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के बेहतर संगठन और विकास के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय-1
प्रारम्भिक

1.**संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ**.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा उसके किसी भी उपबन्ध के संबंध में उसके प्रारम्भ के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ उस तारीख के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा जिसको वह उपबन्ध प्रवृत्त होता है।

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 4.2.1992 में प्रकाशित हुआ और अधिसूचना संख्या एफ. 7(73) शिक्षा 6/74 दिनांक 15.12.1992 द्वारा 1.1.1993 से प्रभावी, राजस्थान राज-पत्र विशेषांक माग 1(ख) दिनांक 18.12.1992 को पृष्ठ 295 पर प्रकाशित।

2.**परिभाषाएं.**–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, (क) "सहायता" से राज्य सरकार द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था को दी गयी कोई भी सहायता अभिप्रेत है;

(ख) "सहायता प्राप्त संस्था" से ऐसी कोई मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त कर रही है;

(ग) "बोर्ड" से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली अभिप्रेत है और इनमें काउन्सिल फॉर दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्रामिनेशन्स सम्मिलित है;

(घ) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से ऐसे वैयक्तिक व्यय की पूर्ति करने के लिये दिया गया कोई भत्ता अभिप्रेत है जो उन विशेष परिस्थितियों में आवश्यक हो जिनमें कर्त्तव्यपालन किया जाये और इसमें कोई यात्रा भत्ता सम्मिलित होगा किन्तु कोई सत्कार भत्ता या भारत के बाहर के किसी भी स्थान तक या से नि:शुल्क यात्रा- अनुदान सम्मिलित नहीं होगा;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के ऐसे वर्ग के सम्बन्ध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "शिक्षा निदेशक "से अभिप्रेत है

(i)स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और तत्समान या उच्चतर अध्ययन की उन शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में, जो संस्कृत और तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं से भिन्न है, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;

(ii) संस्कृत शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान (i) तकनीकी शिक्षा की संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान

(iv) विद्यालयों और उप-खण्ड (0.(ii) और (ii) में निर्दिष्ट से भिन्न संस्थाओं के सम्बन्ध में, निदेशक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

स्पष्टीकरण– शिक्षा निदेशक में, इस अधिनियम के अधीन शिक्षा निदेशक के सभी या किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहण करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी सम्मिलित होगा;

(छ) "जिला शिक्षा अधिकारी" में बालिका संस्थाओं के सम्बन्ध में, जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका) और ऐसे किसी भी अधिकारी के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ज) "शैक्षिक सोसायटी' या "शैक्षिक एजेन्सी" से किसी मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था को स्थापित या अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कोई न्यास, व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है;

(झ) "कर्मचारी" में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में काम करने वाला कोई अध्यापक और प्रत्येक अन्य कर्मचारी सम्मिलित है;

(ञ) "विद्यमान संस्था" से इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व स्थापित और ऐसे प्रारम्भ के समय इस रूप में चल रही कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था अभिप्रेत है;

(ट) "संस्था का प्रधान"से किसी संस्था का किसी भी नाम से जाना जाने वाला प्रधान शैक्षिक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) "संस्था" में किसी शैक्षिक संस्था से सम्बन्धित सभी जंगम और स्थावर सम्पत्तियां सम्मिलित हैं;

(ड) "संयुक्त निदेशक" या "उप-निदेशक" में किसी संयुक्त निदेशक या किसी उप निदेशक के कृत्यों का निर्वहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी सम्मिलित है:

(ढ) "अनुरक्षण अनुदान" से किसी संस्था को दिया गया ऐसा आवर्ती सहायता अनुदान अभिप्रेत है जिसके ऐसे अनुदान के रूप में माने जाने का निदेश राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दे;

(ण) किसी संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्ध" या " प्रबन्ध समिति" से धारा 9 के अधीन गठित प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसमें सचिव या किसी भी नाम से पदाभिहित कोई ऐसा अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें संस्था के कामकाज का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित किया गया है;

(त) "गैर सरकारी शैक्षिक संस्था" से ऐसा कोई महाविद्यालय, विद्यालय, प्रशिक्षण संस्था या किसी भी नाम से अभिहित कोई भी अन्य संस्था अभिप्रेत है जो शिक्षा देने या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य कोई प्रमाण-पत्र, डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी शैक्षिक विशिष्टता अभिप्राप्त करने के लिए छात्रों को तैयार करने या प्रशिक्षण देने के उद्देश्य स्थापित की गयी और चलायी जाती हो या जो राज्य में लोगों के शैक्षिक, सांस्कृतिक या शारीरिक विकास के लिये कार्य कर रही हो और जो राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण के अधीन के किसी अन्य प्राधिकरण के न तो स्वामित्वाधीन हो और न उसके द्वारा प्रवन्धित

(थ) "मान्यता प्राप्त संस्था" से किसी भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा बोर्ड, शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार अथवा शिक्षा निदेशक के द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के द्वारा मान्य कोई गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अभिप्रेत है;

(द) "वेतन" से किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियां अभिप्रेत हैं जिनमें उसे तत्समय संदेय महंगाई भत्ता या कोई भी अन्य भत्ता या अनुतोष सम्मिलित है किन्तु प्रतिकारात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है;

(घ) "मंजूरी प्राधिकारी" से ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को, जिन्हें राज्य सरकार विहित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, सहायता मंजूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है; (न) "राज्य सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(प) "अध्यापक" से कोई आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक और किसी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाला या अनुसंधान या किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन करने वाला किसी भी नाम से अभिहित कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें संस्था का प्रधान सम्मिलित है; और

(फ) "विश्वविद्यालय" से राजस्थान राज्य में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

अध्याय-2

मान्यता, उसका इंकार किया जाना और वापस लिया जाना

3.**संस्थाओं की मान्यता.-(**1) किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या बोर्ड द्वारा मान्य या मान्य की जाने वाली संस्थाओं के मामले को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी विहित प्ररूप और रीति से उसे किये गये किसी आवेदन पर, ऐसे निबन्धन और शर्तें, जो विहित की जाएं, पूरी करने पर, किसी गैर सरकारी शैक्षिक संस्था को मान्यता दे सकेगा:

[1] [परन्तु किसी भी संस्था को तब तक मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक कि वह राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, या वह राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंधों के अनुसार सृजित किसी न्यास द्वारा न चलायी जाती हो।]

(2) किसी संस्था की मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा गृहीत किया जायेगा और उसके द्वारा उस पर विचार किया जायेगा और उस पर के विनिश्चय की संसूचना आवेदक को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर दी जायेगी और जहां मान्यता देने से इंकार किया जाये वहां आवेदक को उक्त कालावधि के भीतर-भीतर उसके कारण भी संसूचित किये जायेंगे।

4.**मान्यता के इंकार के विरुद्ध अपील.**– (1) जहां किसी संस्था को मान्यता से इंकार किया जाये वहां ऐसे इंकार से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की संसूचना दिये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, ऐसे इंकार के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।

1.*2003 का अधिनियम संख्यांक 20 द्वारा प्रतिस्थापित (7.6.2003 से प्रभावी)।*

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को, जिसके कि विरुद्ध अपील को गयी है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उससे उलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

5 मान्यता का वापस लिया जाना.- जहां किसी संस्था का प्रबन्ध व कपट या दुर्व्यपदेशन से या तात्विक विशिष्टियों को छिपाकर मान्यता प्राप्त करता है या जहां मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् कोई संस्था धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विहित किन्हीं भी निबन्धनों और शर्तों का पालना करने में विफल रहती है वहां मान्यता देने वाला सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रबन्ध को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का समुचित अवसर देने के पश्चात् मान्यता वापस ले सकेगा।

1- 2003 का अधिनियम संख्यांक २० प्रतिस्थापित (07-06-2003 से प्रभावी)

6 **मान्यता के वापस लिये जाने के विरुद्ध अपील**.– (1) जहां किसी संस्था की मान्यता वापस ले ली गयी हो वहां ऐसी वापसी से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी वापसी की उसे संसूचना होने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, ऐसी वापसी के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उसे पलट सकेगा और उस पर उसका विनिश्चिय अन्तिम होगा।

अध्याय-3
सहायता, लेखे और संपरीक्षा

7 **मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता का अनुदान**.- (1) किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जावेगा।

(2) अमान्य संस्थाएं कोई भी सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

(3) ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जायें, मंजूरी प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि विहित की जाये, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय समय पर सहायता मंजूर और वितरित कर सकेगा।

(4) सहायता के अन्तर्गत संस्था के व्यय का इतना भाग हो सकेगा जितना कि विहित किया जाये।

(5) किसी संस्था के कर्मचारियों के वेतन के लिए दी गयी सहायता में से किसी भी रकम का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(6) मंजूरी प्राधिकारी इस निमित्त विहित किन्हों भी निबन्धनों और शर्तों का भंग होने पर सहायता को बन्द, कम या निलम्बित कर सकेगा।

(7) सहायता की रकम सामान्यत: किसी संस्था की प्रबन्ध समिति के सचिव को संदत की जा सकेगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में और लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से ऐसी रकम
शिक्षा निदेशक के द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को संदत्त की जा सकेगी।

8 **लेखे और संपरीक्षा.**-– (1) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था ऐसी रीति से लेखे रखेगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं।

(2) प्रत्येक सहायता प्राप्त संस्था के लेखों कीसंपरीक्षा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के अन्त में ऐसी रीति से की जायेगी जो विहित की जायें।

(3) प्रबन्ध समिति का सचिव शैक्षणिक वर्ष को समाप्ति से छह मास के भीतर-भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-4

प्रबन्ध समिति

9 **प्रबन्ध समिति का गठन**.- (1) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था के लिए एक प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति अपने सदस्यों में से ही एक सचिव निर्वाचित करेगी। संस्था का कोई भी कर्मचारी न तो सचिव होगा, न ही कोयपाल।

(3) सचिव ऐसे कृत्यों का निर्वहण और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा, जो विहित किये जायें।

10. **राज्य सरकार की प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति.-**(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार को जब कभी ऐसा प्रतीत हो कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के द्वारा या अधीन उसे समनुदेशित किन्हीं भी कर्तव्यों के निर्वहण में उपेक्षा की है या वह संस्था का सभुचित रूप से प्रबन्ध करने में विफल रही है और यह कि ऐसी संस्था का प्रबन्ध ग्रहण करना लोकहित में आवश्यक हो गया है तो वह ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे प्रबन्ध को ग्रहण कर लेगी और ऐसी कालावधि के लिये जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करे, संस्था की आस्तियों पर नियन्त्रण रखने तथा संस्था को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी।

(2) जहां, उप-धारा (1) के अधीन नियत कालावधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था का प्रबन्ध प्रशासक के द्वारा चलाये जाते रहना आवश्यक नहीं है वहां ऐसा प्रबन्ध-प्रबन्ध समिति को प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

अध्याय-5

सम्पत्तियां, अंतरण और बंद किया जाना

11 **संस्थाओं की सम्पत्तियों का प्रशासन और प्रबन्ध**- प्रबन्ध समिति का सचिव या इस निमित्त प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संकल्प द्वारा सम्यक् रूप से प्रभावित कोई भी अन्य व्यक्ति प्रबन्ध समिति की ओर से किसी मान्यता प्राप्त संस्था की सम्पत्तियों और आस्तियों का प्रबन्ध और प्रशासन करेगा।

12 **सम्पत्तियों का वार्षिक विवरण**- प्रत्येक वर्ष मई के प्रथम दिन या उसके पूर्व किसी सहायता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति का सचिव ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक इस निमित्त प्राधिकृत करे, ऐसी संस्था से सम्बन्धित या उसके कब्जे में की या ऐसी जिनमें उसका कोई अन्य हित हो, समस्त स्थावर सम्पत्तियों की एक सूची ऐसी विशिष्टियों सहित, जो कि विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

13 **प्रबन्ध के अन्तरण का पूर्व अनुमोदन**– (1) जब कभी किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध का अन्तरण किया जाना प्रस्तावित हो तो सचिव और वह व्यक्ति, जिसे प्रबन्ध अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, अन्तरण के अनुमोदन के लिए, ऐसे अन्तरण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई आवेदन ऐसे प्ररूप में किया जायेगा और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं।

(3) सक्षम प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर और ऐसी जांच, जैसी कि वह उचित समझे, करने के पश्चात् प्रस्तावित अन्तरण का, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी कि वह अधिरोपित करे, अनुमोदन कर सकेगा या ऐसे अन्तरण का अनुमोदन करने से इंकार कर सकेगा:

---

1. *आदेश क्रमांक प. 19 (9) शिक्षा-5/93, दिनांक 11.8.2000- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाय एवं जिन भी संस्थाओं में प्रशासक लगे हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया, उन संस्थाओं के चुनाव कराये जाने की आवश्यक व्यवस्था के संबंध में (आदेश संख्या 103)।*
2. *आदेश क्रमांक प. 19 (9) शिक्षा-5/93, दिनांक 15.9.2001- गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रशासक लगाये जाने के संबंध में नीति (आदेश संख्या-126)।*

परन्तु अनुमोदन से तब तक इंकार नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदकों को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो और ऐसे इंकार के कारण अभिलिखित न कर दिये गये हों: परन्तु यह और कि जहां आवेदन करने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाये, वहां ऐसा अनुमोदन किया हुआ समझा जायेगा।

14 **मान्यता प्राप्त संस्था का बंद किया जाना**-(1) कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था या उसकी कक्षा अथवा उसमें किसी भी विषय का अध्यापन सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से कोई नोटिस दिये बिना बन्द नहीं किया जायेगा। यह दर्शित किया जाना होगा कि अध्ययन की उस अवशिष्ट सम्पूर्ण कालावधि में, जिसके लिए कि विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था,
विद्यार्थियों का अध्यापन चालू रखने या छात्रों के द्वारा संदत्त फीस के अवशिष्ट, यदि कोई हों, के प्रतिदाय के लिए पर्याप्त इन्तजाम कर लिये गये हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस की कालावधि इतनी होगी जितनी विहित की जाये और प्रत्येक पाठ्यक्रम की कालावधि को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं को भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए नोटिस की भिन्न-भिन्न कालावधियां विहित की जा सकेंगी।

15 **अंतरण के लिए पूर्वानुमोदन**- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी सहायता प्राप्त संस्था की किसी भी स्थावर सम्पत्ति में के किसी भी अधिकार या हित का या उसके कब्जे का विक्रय, बन्धक, प्रभार के रूप में या अन्यथा किया जाने वाला कोई भी अन्तरण शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को विहित रीति से आवेदन करने और लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के सिवाय नहीं किया जायेगा: परन्तु जहां आवेदन करने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाये, वहां ऐसा अनुमोदन किया हुआ समझा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उल्लंधन में किया गया कोई भी अन्तरण शून्य होगा।

(3) यदि किसी सहायता प्राप्त संस्था की प्रबन्ध समिति का सचिव धारा 12 के अधीन विवरण देने में व्यतिक्रम करता है या ऐसा विवरण देता है जिसकी कोई तात्विक विशिष्टि मिथ्या या गलत है या उप-धारा (1) के उल्लंघन में कार्य करता है तो मंजूरी प्राधिकारी कारण बताने का एक अवसर देने के पश्चात् ऐसी संस्था को सहायता को रोक सकेगा या बन्द या निलम्यत कर सकेगा।

(4) सहायता प्राप्त संस्था के बन्द कर दिये जाने या चालू न रहने या उसकी मान्यता वापस ले लिये जाने की दशा में उसकी प्रबन्ध समिति का सचिव संस्था के सभी अभिलेख, लेखे और सम्पत्तियों का प्रबन्ध और कब्जा शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को सौंप देगा।

अध्याय-6
सेवा की शर्ते और अधिकरण

16-**राज्य सरकार की नियोजन के निबन्धनों और शर्तों को विनियमित करने की शक्ति**– (1) राज्य सरकार राज्य में की सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की अर्हताओं वेतन, उपदान, बीमा, सेवानिवृत्ति की आयु, छुट्टी के हक, आचरण और अनुशासन से सम्बन्धित

शर्तों के सहित, भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी: परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त सहायता- अनुदान नियमों के अधीन किसी विद्यमान संस्था के किसी कर्मचारी को प्रोद्भूत होने वाले अधिकारों और फायदों को ऐसे कर्मचारी के अहित में फेरफारित नहीं किया जायेगा:
परन्तु यह और कि ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों के लिए विकल्प देने का हकदार होगा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उस पर लागू थे: परन्तु यह भी कि विहित सेवानिवृत्ति की आयु पर ध्यान दिये बिना 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पहले हो, ऐसे कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए ऐमो प्रक्रिया के अनुसार, जैसी विहित की जाये, कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, एक भविष्य निधि का गठन करेगी और ऐसी निधि में अभिदाय और जमा रकम पर ब्याज का संदाय ऐसी दर से करेगी जो कि समय समय पर विहित की जाये।

17- **कर्मचारियों की भर्ती**- किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कर्मचारियों की भर्ती या तो स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में खुला विज्ञापन देकर या नियोजन कार्यालय द्वारा ऐसी रीति
से, जैसी की विहित की जाय, भेजे गये अभ्यर्थियों में से की जायेगी।

18-**कर्मचारियों काहटाया जाना, पदच्युतया पदावनत किया जाना**- ऐसे किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो कि इस निमित्त बनाये जाएं, किंसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी को जब तक हटाया, पदच्युत किया या पदावनत किया नहीं जायेगा जब तक कि उसे . किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध प्रबन्ध द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अन्तिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त न कर लिया गया हो;

परन्तु यह और कि यह धारा निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी,

(i) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसे ऐसे आचरण के आधार पर पदच्युत किया या हटाया जाता है जो किसी आपराधिक आरोप में उसकी दोष-सिद्धि का कारण बना हो, या

(ii) जहां उस कर्मचारी को कारण बताने का अवसर देना साध्य या समीचीन नहीं हो. वहां कार्रवाई करने के पूर्व शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर लो गयी हो, या

(iii) जहां प्रबन्ध समिति इस बात पर एकमत हो कि किसी कर्मचारी की सेवाएँं संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चालू नहीं रखी जा सकती वहां ऐसे कर्मचारी की सेवाएं छह मास का नोटिस या उसके बदले में वेतन देने के पश्चात् समाप्त कर दी गई हों और शिक्षा निदेशक की लिखित सम्मति प्राप्त कर ली गयी हो।

19- **अधिकरण को अपील**- (1) यदि प्रबन्ध समिति, धारा 18 के अधीन शिक्षा निदेशक द्वारा किये गये इंकार के आदेश से व्यथित हो तो वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख के नब्बे दिन के भीतर-भीतर धारा 22 के अधीन गठित अधिकरण को अपील कर सकेगी।

(2) धारा 18 के अधीन किये गये प्रबन्ध समिति के किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर-भोतर उक्त अधिकरण को अपोल कर सकेगा।

20- **कर्मचारियों द्वारा संविदाएं**- किसी मान्यता प्राप्त संस्था और किसी कर्मचारी के बीच की कोई संविदा, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो या इसके पश्चात् उस सीमा तक जिस तक वह इस अधिनियम के द्वारा या अधीन ऐसे कर्मचारी को प्रदत्त किसी भी अधिकार को छीनती है, अकृत और शून्य होगी।

21- **अधिकरण को आवेदन**-(1) जहां किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध और उसके किसी कर्मचारी के बीच में सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद हो वहां प्रबन्ध या कर्मचारी विहित रीति से अधिकरण को अपील कर सकेगा और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकार का कोई ऐसा विवाद और धारा 19 में निर्दिष्ट प्रकार . की कोई ऐसी अपील, जो कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के समक्ष लम्बित हो, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य अभिकरण को उसके निश्चय के लिए अन्तरित कर दी जायेगी।

22- **अधिकरण का गठन**-(1) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अधिकरणों का गठन किया जायेगा ।

(2) अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य या ऐसे क्षेत्र पर होगी जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(3) राज्य सरकार अधिकरण का गठन करने के लिए जिला न्यायाधीश की रैंक का न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेगी। [1][राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 की धारा 22 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्‌भूत मामलों को सुनने व उनका निस्तारण करने हेतु राज्य सरकार एतद्वारा, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण का गठन करती है। उक्त अधिकरण की अधिकारिता सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर होगी तथा अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा। राज्य सरकार अधिकरण के लिए जिला न्यायाधीश, स्तर का न्यायिक अधिकारी नियुक्त करेगी।]

1. अधिसूचना संख्या प. 7(73) शिक्षा-6/74 दिनांक 3.6.1993,

23- **अधिकरण के कृत्य**- अधिकरण धारा 19 के अधीन की गयी अपीलें और धारा 21 में निर्दिष्ट विवाद ग्रहण करेगा, उनकी सुनवाई और विनिश्चय करेगा।

24- **अधिकरण की प्रक्रिया**- अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि राज्य सरकार विहित करे।

25- **अधिकरण की शक्तियां**- (1) अधिकरण की निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वैसी ही शक्तियां होंगी जैसी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ-पत्र पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को पेश करने के लिए विषश करना;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) ऐसे अन्य मामले जो कि विहित किये जाएं।

(2) अधिकरण के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

26- **अधिकरण के विनिश्चय का अन्तिम होना**- अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके द्वारा विनिश्चत मामलों के सम्बन्ध में किसी भी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

27- **सिविल न्यायालयों के लिए वर्जन**-किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी भी प्रश्न को तय या विनिश्चित करने या उस पर कार्यवाही करने को अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिकरण द्वारा तय या विनिश्चित किया जाना या उस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

27.क-**अधिकरण के आदेशों का निष्पादन**-धारा 19 के अधीन की गयी अपीलों और धारा 21 में निर्दिष्ट विवादों का विनिश्चय करने वाला अधिकरण का आदेश उस स्थानीय क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा प्रत्यर्थी, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले सबसे निचले सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा उसी रूप में निष्पादित किया जायेगा।

1- अधिसूचना संख्या पं 7(23)शिक्षा-6/74 दिनांक 03.06.1993, राजस्थान के राजपत्र दिनांक 15-10-1993 के पृष्ठ संख्या 391 पर प्रकाशित।

28- **कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता**- किसी मान्यता प्राप्त संस्था का प्रत्येक कर्मचारी ऐसी आचरण संहिता से शासित होगा जो कि विहित की जाये और उसके द्वारा ऐसी संहिता के किसी भी उपबन्ध का अतिक्रमण किये जाने पर ऐसा कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही का भागी होगा।

29- **कर्मचारियों का वेतन और भत्ते**- (1) किसी सहायता प्राप्त संस्था के सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतनमान और भत्ते, प्रतिकरात्मक भत्तों को छोड़कर, सरकारी संस्थाओं में वैसे ही प्रवर्गों से सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये विहित वेतनमानों और भत्तों से कम नहीं होंगे।

(2) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के किसी कर्मचारी का इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् की किसी भी कालावधि का वेतन उस मास से, जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह संदेय है, ठीक अगले मास के पन्द्रहवें दिन या ऐसे किसी पूर्ववर्ती दिन की, जिसे कि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व प्रबन्ध द्वारा उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु यदि किसी भी समय राज्य सरकार उचित समझे तो वेतन और भत्तों के संदाय के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी।

(3) वेतन, उन कटौतियों को छोड़कर, जो कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, किसी भी भांति की कटौतियां किये बिना संदत्त किया जायेगा।

30- **वेतन के संदायका निरीक्षण**- जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी, जो उक्त अधिकारी से नीचे की रैंक का न हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था का किसी भी समय निरीक्षण कर या करवा सकेगा या कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित ऐसी सूचना या अभिलेख (रजिस्टरों, लेखा पुस्तकों, वाउचरों आदि को सम्मिलित करते हुए) उसके प्रबन्ध से मांग सकेगा या कर्मचारियों को वेतन का नियमित रूप से संदाय करने में प्रबंध को समर्थ बनाने के लिए वित्तीय मामलों के (जिनमें किसी अपव्यय का प्रतिषेध सम्मिलित है) उचित प्रबन्ध के लिए ऐसे प्रबन्ध को कोई ऐसा निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और प्रबन्ध ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

---

1. Inserted by Rajasthan Act No. 10 of 2003 (w.e.f. 8.4.2003)

1. 2003 का अधिनियम में. 10 द्वारा अन्त:स्थापित (8.4.2003 से प्रभावी). शुद्धि कर रा.५. 2(7) विधि/2/2001 दिनांक 21.4.2003, द्वारा शुद्ध किया गया। राज, रज-पत्र विशेषांक भाग 4(क) दिनांक 22.4.2003 में प्रकाशित ।

31- **वेतन का संदाय**- (1) सहायता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध अपने कर्मचारियों के वेतन का संवितरण एकाउन्ट पेयी चैकों द्वारा करेगा: परन्तु शिक्षा निदेशक, विशेष परिस्थितियों में, कर्मचारियों के वेतन का संवितरण ऐसी किसी भी अन्य रीति से, जो वह उपयुक्त समझे, करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा।

(2) किसी सहायता प्राप्त संस्था के कर्मचारियों के वेतन का संदाय उप धारा (1) में या धारा 29 में निर्दिष्ट रूप से करने में प्रबन्ध के विफल रहने की दशा में शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी आगामी सहायता अनुदान के रूप में संदेय रकम में से या, यदि आवश्यक हो तो, किसी भी पश्चातवर्ती सहायता अनुदान में से, ऐसे बेतन की कटौती कर सकेगा और प्रबन्ध की ओर से कर्मचारियों को ऐसे वेतन का संदाय कर सकेगा। ऐसा संदाय उस संस्था के प्रबन्ध को ही किया गया धन संदाय समझा जायेगा।

32– **सहायता प्राप्त संस्थाओं से शोध्य रकमों की वसूलियां**- (1) जहां, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् किसी भी करार, स्कीम या अन्य ठहराव के अनुसरण में ऐसे करार, स्कीम या ठहराव द्वारा नियतमान के अनुसार किसी सहायता प्राप्त संस्था के प्रबन्ध द्वारा उसके कर्मचारियों को कोई वेतन अन्य देय संदेय हों वहां, जिला शिक्षा अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी प्रबन्ध समिति के सचिव को इस प्रकार संदेय रकम अपने पास जमा कराने का निदेश लिखित आदेश द्वारा दे सकेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन आदेश करने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कर्मचारी को संदेय रकम के बारे में ऐसी रीति से जांच करेगा जो विहित की जाये।

(3) उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी को, जिसे शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाये, ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसी रीति से की जा सकेगी जो विहित की जाये।

(4) जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों के अधीन या जहां अपील की गयी हो वहां, अपील में आदेश करने वाले अधिकारी के आदेशों के अधीन प्रबन्ध से शोध्य कोई भी धन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा। ऐसा धन राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध को देय किसी भी राशि से मुजरा करके भी वसुल किया जा सकेगा। इस उप-धारा के अधीन जमा करायी या वसूल की गयी कोई भी रकम संबंधित कर्मचारी को संदत्त की जायेगी।

(5) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर या तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दी गयी किसी सहायता या संदत्त अनुदान को राज्य सरकार को देय कोई भी रकम प्रबन्ध से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

अध्याय-7

अपराध और शास्तियां

33 – **नोटिस दिये बिना और सक्षम प्राधिकारी का समाधान किये बिना मान्यता प्राप्त संस्था के अन्तरण या बन्द किये जाने के कारण शास्ति**- कोई भी व्यक्ति, जो धारा 13 या धारा 14 का उल्लंघन करता है या, जहां कोई ऐसा उल्लंघन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहां, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।

34 – **सचिव के कर्तव्यों का निर्वहण न करने के कारण शास्ति**- कोई व्यक्ति, जो धारा 9 की उप-धारा (3) या धारा 12 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या, जहां ऐसा कोई उल्लंघन किसी संगम द्वारा किया जाता है वहां, ऐसे संगम की प्रबन्ध समिति का प्रत्येक सदस्य, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु प्रबन्ध समिति का ऐसा सदस्य जिसने इसमें भाग नहीं लिया हो या जो ऐसे निर्णय से सहमत न हुआ हो, इस धारा के अधीन किसी शास्ति का भागी नहीं होगा।

35 – **परिवाद पर संज्ञान**-कोई भी न्यायालय इस अध्याय में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस निर्मित सशक्त किसी अधिकारी के लिखित परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

36 – **सरकार की पुनर्विलोकन की शक्ति** – इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा, मामले का अभिलेख मंगाकर धारा 6 के अधीन या धारा 7 की उप-धारा (6) के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी, और

(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगी,

(ख) मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, आगे ऐसी कार्यवाई का निर्देश देते हुए भेज सकेगी जो वह उचित समझे, या

(ग) ऐसे आदेश दे सकेगी जो वह उपयुक्त समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई अन्तिम आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यथित पक्षकार को कारण बताने का कोई उचित अवसर नहीं दे दिया जाये।

अध्याय-8

प्रकीर्ण

37- **कठिनाइयों का निराकरण**- गदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राज-पत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष बीत जाने के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

38- **अधिकारियों का लोक सेवक होना**- इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या किये गये आदेश के अधीन अधिरोपित किसी भी कृत्य का पालन या किसी भी कर्तव्य का निर्वहण करने के लिये सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

39- **अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का परित्राण**- इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी भी कार्य के कारण या की गई किसी भी कार्यवाही के कारण हुए किसी भी नुकसान के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

40- **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना**- इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी भी विधि के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखत में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

41- **न्यायालयों द्वारा व्यादेश का न दिया जाना** – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय ऐसी किसी भी कार्यवाही को, जो कि इस अधिनियम के अधीन की जा रही है, या की जाने वाली है, अवरुद्ध करने के लिए कोई भी अस्थायी आदेश या कोई भी अन्तरिम आदेश नहीं देगा।

42- **शक्तियों का प्रत्यायोजन-** शिक्षा विभाग के किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को इस अधिनियम द्वारा उसमें निहित सभी या कोई भी शक्तियां राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित करना या इस प्रकार प्रत्यायोजित कोई भी शक्ति वापस लेना राज्य सरकार के लिये विधिपूर्ण होगा।

43- **नियम बनाने की शक्ति-**(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी।

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नालिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा:

(क) गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए निवन्धन और शर्ते;
(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण;
(ग) मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान देना;
(घ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस का उद्ग्रहण, विनियमन और संग्रहण,
(ङ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं में फीस की दरों का विनियमन
(च) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए विशेष उपबन्ध करके ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में के प्रवेश को विनियमित करना जो राज्य निधियों से सहायता प्राप्त कर रही है।
(छ) यह रीति, जिससे सहायता प्राप्त संस्थाओं में लेखे, रजिस्टर या अभिलेख रखे जायेंगे और ऐसे अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी;
(ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की प्रबन्ध समिति के सचिवों के द्वारा विवरणियों, विवरणों, रिपोर्टों और लेखों का प्रस्तुतीकरण;
(झ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षणं और वह अधिकारी, जिसके द्वारा निरीक्षण किया जायेगा;
(ज) मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लेखे रखने और उनकी संपरीक्षा करने का ढंग;

(ट) शिक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम; और
(ठ) इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने के लिए अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात सभी विषय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कम से कम चौदह दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमकर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व राज्य विधान-मण्डलका सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई उपान्तर करे अथवा ऐसा संकल्प करे कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिये तो तत्पश्चात ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावशील या यथास्थिति, प्रभाव शून्य होंगे किन्तु ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलकरण तदूधीन पहले से की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।